

अधिसूचना

सं०सं०-05 / स्था०(डी०टी०ओ०)-30 / 2013..... / परि० पटना, दिनांक.....

जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के आदेश ज्ञापांक-1921 दिनांक 06.05.2016 द्वारा श्री अनिल कुमार का प्रभार सुपुर्द किया गया है।, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बायसी को करारोपण पदाधिकारी, दालकोला चेक पोस्ट, बायसी, पूर्णियाँ

जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा की गई उक्त वैकल्पिक व्यवस्था के आलोक में श्री अनिल कुमार, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बायसी को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-3 में निहित प्रावधानों के तहत पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपने कार्यों के अतिरिक्त करारोपण पदाधिकारी, दालकोला चेकपोस्ट, बायसी, पूर्णियाँ के कार्यों के सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

विशेष सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक

ज्ञापांक - 05 / स्था०(डी०टी०ओ०)-30 / 2013

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ / महालेखाकार, बिहार, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, पटना / जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ / आयुक्त आयुक्त - राह-बिहार कोषांग, प्राधिकार, पूर्णियाँ / श्री अनिल कुमार, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बायसी, पूर्णियाँ / मोटरयान निरीक्षक, पूर्णियाँ / माननीय मंत्री परिवहन के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के आप्त सचिव / राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव / सभी विभागीय पदाधिकारी / प्रभारी सहायक स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक- 05 / स्था०(डी०टी०ओ०)-30 / 2013..... 4869 / परि०

पटना दिनांक 10/8/16

प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, कम्प्युटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर लोड करने हेतु प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि अधिसूचना की सी०डी० तैयार कर निर्गम शाखा को कृपया शीघ्र उपलब्ध करायें।

विशेष सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना